



उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग

☎ 01334.244143

आयोग भवन, हरिद्वार-249404

Website : www.ukpsc.gov.in

संख्या : 119/60/01/डी0आर0(मा0शि0)/सेवा-1/2016-17

दिनांक : 19 जून, 2019

अनर्ह सूची/ज्ञाप

मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या : 428-430/2019 में पारित आदेश दिनांक 06.05.2019 के अनुपालन में उत्तराखण्ड शासन के माध्यमिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत विज्ञापन संख्या: A-1/S-1/2018 दिनांक 04 सितम्बर, 2018 के माध्यम से प्रकाशित 'उत्तराखण्ड विशेष अधीनस्थ शिक्षा (प्रवक्ता संवर्ग) सेवा (सामान्य शाखा तथा महिला शाखा) परीक्षा-2018' की स्क्रीनिंग परीक्षा के सापेक्ष दिनांक 16 मई, 2019 को घोषित चयन परिणाम में प्रवक्ता-वाणिज्य (सामान्य शाखा) हेतु सफल घोषित निम्नांकित अभ्यर्थी को उनके नाम के सम्मुख उल्लिखित कारण के आधार पर अनर्ह घोषित करते हुए मा0 आयोग द्वारा उनका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया गया है :-

क्र.सं.	अनुक्रमांक	नाम	अनर्हता का कारण
1	920454	LALIT SINGH RATHORE	आयोग द्वारा प्रकाशित विज्ञप्ति संख्या : 80/60/01/डी.आर.(मा.शि.)/सेवा-1/2016-17 दिनांक 20 मई, 2019 में स्पष्ट रूप से उल्लिखित किया गया था कि "जिन अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र का प्रिंटआउट (समस्त संलग्नकों सहित) दिनांक 04.06.2019 की सायं 06:00 बजे तक आयोग कार्यालय में प्राप्त नहीं होता है, उन्हें आयोग द्वारा प्रश्नगत परीक्षा हेतु अनर्ह घोषित कर दिया जायेगा तथा इस सम्बन्ध में कोई अनुरोध स्वीकार्य नहीं होगा।"
2	920501	SONA DWIVEDI	विज्ञप्ति में निर्धारित उक्त शर्त को पूर्ण न करने के कारण अभ्यर्थीगण को अनर्ह घोषित करते हुए अभ्यर्थन निरस्त।

अनर्ह अभ्यर्थी अपनी अनर्हता के संबंध में दिनांक 01 जुलाई, 2019 (सोमवार) तक आयोग कार्यालय में साक्ष्य सहित प्रत्यावेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित तिथि के पश्चात प्राप्त प्रत्यावेदनों पर कोई भी विचार नहीं किया जायेगा।

-Sd-
(राजेन्द्र कुमार)
सचिव।